राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जगदीश बनाम गोपाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	2109/2025	
17/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की आंशिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली निरन्तर बहस हेतु दिनांक 27/03/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
27/03/2026	पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। अत: पत्रावली निर्णय हेतु रिजर्व की जाती है। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 15/04/2026 को पेश हो। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	
15/04/2026	आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। सक्षेप में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा एक वाद बाबत विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा हाल रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 38 के विरूद्ध एक राजस्व वाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 53 व 188 के अन्तर्गत इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 377, 379, 385, 386, 390, 391, 395, 396, 425 से 430, 433, 434, 435, 437 से 443, 446, 454 व 494 कुल किता 29 वाके ग्राम शिकारपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर के सम्बन्ध में 28.06.1996 को वाद प्रस्तुत कर विभाजन का अनुतोष चाहते हुये बाद विभाजन प्राप्त भूमि के संबंध में स्थाई निषेधाज्ञा चाही। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत होने पर वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को नोटिस जारी किये गये। तत्पश्चात प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 11, 13, 15 व 17 अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित आये एवं प्रतिवादी संख्या 12, 14, 16 बावजूद तामील अनुपस्थित रहने पर उनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादीगण द्वारा जवाब दावा मय काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त वादी द्वारा काउन्टर क्लेम का जवाब प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय व डिक्री दिनांक 17/06/2025 पारित करते हुये प्रतिवादी संख्या 10 जा काउन्टर क्लेम स्वीकार किया जाकर दावा डिक्री कर दिया गया। जिससे व्यथित होकर अपीलार्थीगण द्वारा इस न्यायालय के समक्ष यह अपील प्रस्तुत की गयी। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष ने अपनी-अपनी लिखित बहस पेश कर लिखित बहस को ही उनकी बहस माना जाकर अपील का निस्तारण किये जाने का निवेदन किया। राजस्व अपील प्राधिकारी जयपुर	

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर

तारीख हुक्म	जगदीश बनाम गोपाल हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
21/09/2025		

अधिवक्ता उभयपक्ष की लिखित बहस पर गौर किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया | उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन निर्णय अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय सरसरी तौर पर ही अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करते हुये निष्कासन एवं स्थाई निषेधाज्ञा में प्रस्तुत काउन्टर क्लेम स्वीकार करते हुये खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अनुतोष प्रदान किया गया है, जबकी विधि के प्रावधानों के अनुसरण में घोषणा का अनुतोष साक्ष्य-सबूतों का तनकीवार विस्तृत परिक्षण/विवेचन करते हुये किया जाना आवश्यक होता है किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा ऐसा नही कर सरसरी तौर पर तथ्य का विश्लेषण कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने में प्रक्रियात्मक एवं विधिक त्रुटी कारित की गयी है | ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री विधिक प्रक्रियाओ एवं प्रावधानों के विपरित पारित होना जाहिर होने से निरस्तनीय साबित होती है |

अत: उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 17/06/2025 निरस्त किये जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि वे बाद सुनवाई पक्षकारान साक्ष्य सबूत का तनकीवार विस्तृत विवेचन करते हुये विधिसम्मत निर्णय व डिक्री पुन: पारित करे | तदनुसार अपील स्वीकार की जाती है |

पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तामील तकमील दाखिल दफ्तर हो |

निर्णय आज दिनांक 15/04/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया |

राजस्व अपील प्राधिकारी
जयपुर